संख्या-02/2020/1024/77-6-19-02(बजट)/18

प्रेषक]

सुजाता शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत इकाई के स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रू. 1,37,28,218.00 (रू. एक करोड़ सैंतीस लाख अटठाइस हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश कानपुर के पत्र संख्या-4299/औ0आ0अनु0-11/स्टॉम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/2019-20 दिनांक 9-12-2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय, 60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 20-नई औद्योगिक नीति,42-अन्य व्यय के अन्तर्गत पात्र इकाईयों के स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु परीक्षणोंपरान्त संस्तुति सहित समेकित रूप से धनराशि रू. 1,37,28,218.00 (रू. एक करोड़ सैंतीस लाख अटठाइस हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	इकाई का नाम/पता	इकाई की श्रेणी एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार (पूंजी निवेश प्लान्ट एवं मशीनरी) सूक्ष्म-रू.25 लाख तक, सूक्ष्म रू.25 लाख से 5 करोड़ तक एवं मध्यम रू. 5 करोड़ से 10 करोड़ तक	विलेख निबन्ध की तिथि	वाणिज्य उत्पादन की तिथि	उत्पाद का नाम	शासनादेश सं0 12.02.2018 के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	शासनादेश सं.1516/77-6-18-05(एम) दिनांक 01.05.18 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र	निदेशालय स्तर से प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी धनराशि (रु.में)	भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्गमी0)
1	मे0 के0एन0 फूड इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, प्लाट नं0-ए-08, ग्रोथ	लघु	15.06.2013	22.12.2018	हार्ड कोल एण्ड लिगनाइट ब्रिक्यूटस	प्रस्तर 5.1 75%	4880.84.04 × 250% = 12202.10 वर्ग मी. जो क्षेत्रफल 8917.73 वर्गमीटर से अधिक है।	4,21,890.00	8917.00 वर्ग मी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	सेन्टर, यूपीएसआईडीसी औ.क्षेत्र, जैनपुर, कानपुर देहात।						अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 8917.73 वर्गमीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य अनुमन्य होगी।		
2	मे0 जे0पी0 ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज जी-69 एग्रो पार्क-2 औद्योगिक क्षेत्र कुर्सी रोड बाराबंकी।	लघु इकाई	08.07.2016	21.01.2018	एरीटिक ड्रिंक मिनीरल वाटर-नान एल्कोहलिक बेवरेज आदि	100%	240×250% = 600 वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 591 वर्गमीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य अनुमन्य होगी।	1,40,000.00	591 वर्ग मी0
3	मे0 दर्शन फूड प्रोडक्ट प्लाट न0-डी-3 यू0पी0एस0 आई0 डी0 औ0 क्षेत्र साइट-1 रनियां कानपुर	लघु	17.05.2017	01.04.2018	फूड प्रोडक्ट्स	प्रस्तर 5.1 75%	411.75×250%= 1029.375 वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 491 वर्गमीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	2,57,775.00	491 वर्ग मी.
4	मे0 समरकुल होम एप्लाइन्सेस लि0 भूखण्ड सं0-सी-17 साइट-3 मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद	लघु	04.04.2016	01.11.2017	मैन्यु0 ऑफ इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक उत्पाद	प्रस्तर 5.1 50%	2047.51×250= 5118.775 वर्ग मी. जो कि भूमि के कुल क्षेत्रफल 4162.20 वर्गमी. से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 491 वर्गमीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	29,13,540.00	4162.20 वर्ग मी.
5	मे0 हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लि0 प्लाट नं0-28 एवं 29 स्कीम ए योजना-40 पनकी, औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर नगर।	लघु श्रेणी	27.04.2018	18.03.2019	न्यूज पेपर प्रिन्टिग	प्रस्तर 5.1 75%	1-प्लाट नं0 28-819.42×250%= 2048.55 वर्ग मी. पर भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क रू. 21,26,684.00 एवं 2. प्लाट नं0-29 2128.20×250%= 5470.50 वर्ग मीटर जो कि भूमि के के वास्तविक क्षेत्रफल 4038.95 वर्ग मीटर पर	99,95,013.00	8077.90 वर्ग मी0

http://shasanadesh.up.gov.in

							भुगतान किया गया स्टाम्प वर्गमीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।		
							कुल धनराशि	रू.1,37,28,218.00 (रू. एक करोड़ सैंतीस लाख अटठाइस हजार दो सौ अटठारह मात्र)	

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कुल 05 इकाइयों के स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि रू.1,37,28,218.00 (रू. एक करोड़ सैंतीस लाख अटठाइस हजार दो सौ अटठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(2) किसी भी दशा में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अत: उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जायेगा।

(5) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के सापेक्ष अर्ह धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत देय छूट हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1515/77-6-18-5(एम)/17 दिनांक 01 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1516/77-6-18-5(एम)/17 दिनांक 01 मई, 2018 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय, 60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 20-नई औद्योगिक नीति, 42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-5/दस-2020 दिनांक 09-01-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-02/2020/1024/77-6-19-02(बजट)/18तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (लेखा एवं हकदारी) प्रयागराज उ0प्र0।
(2) मुख्य कोषाधिकारी कानपुर।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(5) नियोजन अनुभाग-1/4
(6) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग अनुभाग-7
(7) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बाबू राम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।